न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 46/2021

हरीश भारद्वाज अधिवक्ता, पुत्र महेश चन्द शर्मा निवासी मानव सेवा आश्रम के पास, सवाई माधोपुर पिन 322021

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) उनियारा

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 11-2-2022**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सहायक लोक सूचना अधिमकारी एंव निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) उनियारा को आवेदन पत्र दिनांक 06-05-2021 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी :-

उनियारा कस्बा नगरपालिका के चुनाव वर्ष 2020-2021 से संबंधित निम्न जानकारी देंवे।

1 उनियारा नगरपालिका चुनाव वर्ष 2020-2021 में कितने वार्ड सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार हेतु आरक्षित है सत्यापित प्रतिलिपि देंवे।

2 उनियारा नगरपालिका चुनाव वर्ष 2020-2021 में उनियारा कस्बा के सामान्य श्रेणी के वार्ड के उम्मीदवारों की लिस्ट की सत्यापित प्रतिलिपि देवें।

3 उनियारा नगरपालिका चुनाव वर्ष 2020-2021 में सामान्य श्रेणी के वार्ड में गणेश जोशी पुत्र पुरूषौत्तम जोशी, जाति ब्राह्मण किस वार्ड से खडा हुआ है। सत्यापित प्रतिलिपि देवें।

4 उनियारा नगरपालिका चुनाव वर्ष 2020-2021 में गणेश जोशी पुत्र पुरूषौत्तम जोशी, जाति ब्राह्माण निवासी जोशी मौहल्ला, उनियारा के आवेदन पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि मय समस्त दस्तावेजों के देंवे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:04:20 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील कर्ता रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) उनियारा को पत्र किमांक 1510 दिनांक 22-12-2021 व 1524 दिनांक 28.12.2021 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

उपस्थिात नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) उनियारा द्वारा पत्र कमांकः आरटीआई/2022/1592 दिनांक 6–01–2022 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सुचना अपीलार्थी को कार्यालय के पत्र कमांकः आरटीआई/2021/1186 दिनांक 14–10–2021 से जरिये डाक से भिजवायी गई है। जिसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) उनियारा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:04:20 IST
Reason: SelfAttested